

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा



श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/
संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय परिसर मे स्थापित इन्सीनरेटर संचालन
व्यवस्था

चतुर्थ निविदा फार्म एवं शर्ते
वर्ष 2015-16

निविदा प्रपत्र क्र.....
रसीद क्रमांक.....
दिनांक.....

कीमत रू. 5000/-
(रूपये पाँच हजार मात्र)

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.
चतुर्थ निविदा प्रपत्र

2015—16

*श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय परिसर मे स्थापित
इन्सीनरेटर संचालन व्यवस्था*

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	31.3.2015 सायं 3 बजे तक
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	9.4.2015 सायं 3 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	10.4.2015 दोपहर 12:30 बजे

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.

प्र.

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

क्रमांक

/ क्रय / 2015

रीवा दिनांक

निविदा प्रपत्र

संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय परिसर रीवा में स्थापित इन्सीनरेटर Fluidtech Boilers, Ahmedabad द्वारा प्रदाय जिसकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घन्टा है से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय के जीव चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) को भस्म करने एवं अन्य कचरे के उचित डिस्पोजल हेतु अनुबंध होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि का ठेका किये जाने हेतु सील बंद निविदायें निम्न शर्तों पर आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा की शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदाकार को अपनी सील बंद निविदा के साथ रूपये 3,00,000/- (रु. तीन लाख मात्र) की धरोहर राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा। उक्त धरोहर राशि नगद या चेक द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदायें धरोहर राशि के सहित कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकेंगी। निर्धारित तिथि एवं समयवाधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदाकार को चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों /स्थानों से एकत्रित हुये जीव चिकित्सा अपशिष्ट एवं अन्य कचरे का उचित डिस्पोजल भी करना होगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) एवं अन्य कचरा को इन्सीनरेटर में भस्म करना होगा। इन्सीनरेटर में उपयोग होने वाले ईंधन (डीजल/बिजली) इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
3. निविदा खुलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार या उसके प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित रह सकते हैं जिसके लिये उसे अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
4. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय समूह परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों, भवनों, वार्डस, मेडिकल परिसर, बाह्य उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) ,समस्त आपरेशन थियेटर , पैथालाजी एवं ब्लड बैंक से निकलने वाले समस्त प्रकार के ठोस, द्रव, जीव चिकित्सा अपशिष्ट तथा म्यूनिसपल वेस्ट को चिकित्सालय/वार्डस,

भवनों एवं मेडिकल परिसर/बाह्य उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) से इन्सीनरेटर अथवा चिन्हित स्थान तक ले जाने की सुरक्षित व्यवस्था स्वयं निविदाकार द्वारा की जावेगी तथा इसमें होने वाला व्यय भी निविदाकार द्वारा ही वहन किया जावेगा। बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा चिकित्सालय परिसर में अन्य एकत्रित किया गया म्यूनिसपल कचरा भी उचित स्थान पर ले जाकर उसका भी उचित डिस्पोजल करना होगा, जिसकी व्यवस्था निविदाकार को रीवा शहर के नगर निगम के नियत कचरा स्थान तक पहुंचा कर करना होगा अथवा इस कार्य को करने वाली संस्था से समन्वय कर भिजवाने की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी। इसमें होने वाला व्यय भी निविदाकार को वहन करना होगा।

5. निविदाकार को शासकीय चिकित्सालय में जीव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. इन्सीनरेटर के पूरी तरह से रख-रखाव एवं संचालन के लिये निविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। उसे समय-समय में उसकी जाँच, रख-रखाव एवं अन्य प्रकार की व्यवस्था हेतु आवश्यक मैकेनिक, इन्जीनियर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि उक्त इन्सीनरेटर के निर्माता – कम्पनी द्वारा उस संबंध में अलग से कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उसके अनुसार समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। यदि इन्सीनरेटर उपयोग करने के दौरान उसके किसी पार्ट्स में कोई खराबी आती है या उसे बदलाना आवश्यक होता है तो निविदाकार उक्त पार्ट्स को बदलायेगा। यदि किसी खराबी के कारण इन्सीनरेटर कुछ समय कार्य नहीं करता है तो ऐसे समय के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था में होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा ही वहन करना होगा।
7. प्रत्येक निविदाकार को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा से संबंधित संजय गांधी चिकित्सालय समूह के परिसर में इन्सीनरेटर द्वारा जीव अपशिष्ट भस्म किये जाने का भुगतान प्रतिमाह नियत दर के आधार पर किया जावेगा। संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा प्रतिमाह के कार्य की समीक्षा अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जावेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को मासिक आधार पर आर्थिक दण्ड आरोपित करने का अधिकारी होगा। अर्थ दण्ड की राशि नियत मासिक दर की 50 प्रतिशत तक संभव हो सकेगी। किये गये कार्य की लागबुक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिदिन सत्यापित करानी होगी।
9. इन्सीनरेटर में कोई भी खराबी आने पर या उसके बंद होने पर निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर आवश्यक सुधार कार्य कराकर इन्सीनरेटर को चालू करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की वैकल्पिक व्यवस्था भी निविदाकार को करनी होगी, इसका पृथक से कोई भुगतान नहीं देय होगा।

10. निविदाकार को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जीव चिकित्सा अपॉिष्ट के कटेगिरी अनुसार कंटेनर्स/पाली बैग्स की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
11. अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक या उसके द्वारा नामांकित किसी भी व्यक्ति को इन्सीनरेटर यूनिट का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और यदि निरीक्षण के समय निविदाकार की कोई भी गलती या त्रुटि पाई जाती है तो निविदाकार पर उचित अर्थदण्ड अथवा ठेका निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी। ठेका निरस्ती पर दूसरे क्रम पर आने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृति की जायेगी। द्वितीय निविदाकार की निविदा स्वीकृति करने पर यदि सोसायटी को अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो वह धनराशि प्रथम ठेकेदार के अमानती राशि से वसूल की जावेगी।
12. उपरोक्त निविदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक , सफल निविदाकार/ठेकेदार को 7 दिन का सूचना पत्र देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेंगे। निविदा समाप्त होने की दशा में शेष बची अवधि के लिये अन्य व्यवस्था किये जाने में संस्था को, यदि अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना पडता है तो वह अतिरिक्त धन राशि सफल निविदाकार/ठेकेदार से भू राजस्व की तरह वसूल की जावेगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी।
13. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत के दिनांक से 7 दिन के अन्दर उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
14. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एव क्य समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा या सभी निविदा को बिना कारण बताये संस्था के हित में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे। निविदाकार को श्रमिक विवेचना के राज्य एवं केन्द्र के अधिनियमों, श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा तथा श्रम कानून के अन्तर्गत ई.पी.एफ./ई.एस.आई. इत्यादि नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को श्रम कानूनो के तहत श्रम विभाग से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं की गई कार्यवाही की जानकारी अधोहस्ताक्षकर्त्ता को हर माह देना अनिवार्य होगा।
15. निविदा अवधि के समाप्ति के पश्चात् इन्सीनरेटर को चालू हालत में एवं इन्सीनरेटर की समस्त सामग्री संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय को सौपना होगा।
16. यदि किसी कारणवश निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तों एवं उसी दर पर कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।

17. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं स्वशासी समिति द्वारा समय-समय पर लिये जाने वाले निर्णय उभय पक्ष को मान्य एवं बंधनकारी होंगे।
18. सफल निविदाकार द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची एवं उनका चरित्र प्रमाण पत्र अधोहस्ताकर्ता के कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। निविदाकार द्वारा कार्य में लगाये गये समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके समस्त स्वत्वों का भुगतान जिनमें आंशिक भविष्य निधि अनिवार्य रूप से सम्मिलित है का दायित्व निविदाकार का होगा। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की जबाबदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की छतिपूर्ति इस संस्था द्वारा देय नहीं होगी।
19. समस्त प्रकार के विवादों के निराकरण का क्षेत्राधिकार रीवा न्यायालय होगा।
20. निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
21. निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर टेक्नीकल बिड के साथ मूलतः वापस करना अनिवार्य होगा।
22. म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इंसीनरेटर संचालन व्यवस्था हेतु बताई गई निम्नानुसार कमी की पूर्ति स्वयं के व्यय पर जो निविदाकार करेगा तथा उसकी दर सबसे कम होगी उसको निरंतर तीन वर्ष का ठेका दिया जावेगा।
 1. आटोकलेव 150 –250 लीटर सर्किल की स्थापना
 2. श्रेडर मशीन 25 से 50 किलोग्राम प्रतिघंटा की स्थापना
 3. सैम्पलिंग पोर्ट होल/लेडर का निर्माण
 4. इंसीनरेटर से निकलने वाली राख का निष्पादन सुरक्षित भूमि में करना अथवा टी.एस.डी. एफ. पीथमपुर से कार्यवाही करना।
 इंसीनरेटर संचालन व्यवस्था हेतु निविदा में दर्शित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।

नोट :-

1. इस प्रपत्र के साथ अमानती राशि का डिमांड ड्राफ्ट व अन्य प्रमाण पत्र चेक लिस्ट के अनुसार लिफाफा ए (टेक्नीकल बिड) में रख कर बंद करें। संलग्न दस्तावेज किस पृष्ठ पर संलग्न हैं उसका उल्लेख चेक लिस्ट में किया जावे।
2. लिफाफा बी में केवल प्राइज बिड का विवरण रखें।
3. लिफाफा ए एवं बी को एक अन्य बड़े आउटर लिफाफे में रखकर उस पर इंसीनरेटर संचालन व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015-16 लिखें व सील कर के भेजें।
4. टेक्नीकल बिड में मांगी गई जानकारी पूर्ण होने पर ही प्राइज बिड खोली जावेगी। यदि एक भी जानकारी मांगे अनुसार नहीं होगी तो निविदा से पृथक कर दिया जावेगा।
इस कार्यालय द्वारा प्राप्त निविदा फार्म मूल रूप से हस्ताक्षर एवं सील सहित वापस करना अनिवार्य होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

क्रमांक

/ क्रय / 2015

रीवा दिनांक

निविदा प्रपत्र का प्रारूप इन्सीनरेटर व्यवस्था हेतु

प्रमाणित
फोटोग्राफ

1. निविदा फर्म का नाम
2. निविदाकार पूरा नाम
-
3. उम्र / लिंग / पुरुष / स्त्री वर्ष पु० / म०
-
4. पिता का नाम
-
5. स्थानीय पता
-
6. स्थायी पता से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें
-
7. किसी राजपत्रित अधिकारी से
-
- प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें
-
8. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें
-
9. पेन न. / टेन न. / आयकर क्लिरेन्स प्रमाण पत्र (विगत वर्ष)
-
10. म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र
-
11. श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण (यदि लागू हो तो)
-
12. इन्सीनरेटर ठेके की अमानती राशि

रु. 3,00,000 (रु. तीन लाख मात्र) अंको एवं शब्दों मे लिखें

13. बैंक एफडीआर ड्रफ्ट क्रमांक एवं दिनांक

14. अन्य जानकारी एवं संबंधित

....

दस्तावेज संलग्न करें

....

नोट:- मैंने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क्रमांक / दिनांक
..... को समाचार पत्र

.....
मे प्रकाशित हुई है, के अनुसार इन्सीनरेटर व्यवस्था के लिये निविदा की सभी शर्तों को मैं मान्य करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई शर्त निविदा आवेदन में प्रस्तावित नहीं की है।

हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता

100 रू० (एक सौ रू.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में

प्रस्तुत करें

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

1. मैं /हम भारत के नागरिक हूँ/ है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय में तथा म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।
हमारी संस्था को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
4. मैं /हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो न तों अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे /हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। मैं वचनबद्ध होता हूँ कि यदि हमारी निविदा मान्य की गई तों मैं निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन करूंगा।
7. मैं/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी से संबंधित नहीं है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है। नाही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे/हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार /केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नहीं है।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम
व पता

संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम.....
पता

2. गवाह का नाम.....
व पता

संस्था का नाम एवं पता

चेक लिस्ट ;लिफाफा ए मे रखने हेतु)

(संलग्न दस्तावेज)

क्र.	निविदा के साथ अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे तथा पृष्ठ क्र. अंकित किया जावें।	क्रय समिति द्वारा टिक किया जाये।
		हां/नही	हां/नही
1.	मूल निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः		
2.	अमानत राशि के रूप मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से रू. 300000.00 (तीन लाख) का एफ.डी.आर. क्र.दिनांकएक वर्ष अवधि क लिये जमा मूलतः।		
3.	फर्म/संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति । जिसमे निविदाकृत कार्य व्यवसाय प्रदर्शित हो।		
4.	आयकर रिटर्न एसेसमेंट पिछले 03 वर्षों का		

5.	सर्विस टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र		
6.	100.00 राशि के नानं जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः		
7.	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नष्ट करने का दो वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र		
8.	पैन कार्ड की छायाप्रति		
9.	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र		
10.	दर सूची (प्राइस बिड)		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

रेट सूची (लिफाफा बी में रखने हेतु)

(निविदाकार अपने लेटर हेड में रेट सूची प्रस्तुत करें।)

1. मैं/हम निविदा में लिखी शर्तों एवं नियम को स्वीकार करते हुए श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों/वार्डस/परिसर/बाह्य उपचार विभाग के समस्त प्रकार के ठोस/द्रव जीव चिकित्सा अपशिष्टों को उचित रूप से इन्सीनरेटर द्वारा व शेष अन्य चिकित्सालय अपशिष्टों के उचित डिस्पोजल के लिये दरे निम्न प्रकार से प्रस्तावित करता हूँ।

सं.क्र	कार्य विवरण	राशि
1	चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों/वार्डस/परिसर/बाह्य उपचार विभाग के समस्त प्रकार के ठोस/द्रव जीव चिकित्सा अपशिष्टों को उचित रूप से इन्सीनरेटर द्वारा व शेष अन्य चिकित्सालय अपशिष्टों के उचित डिस्पोजल के लिये दर	

टीप:- 1. शासन के नियमानुसार यदि कोई कर लगाया गया हो तो उसका पृथक से उल्लेख किया जाए।

2. आटोकलेव 150 –250 लीटर सर्किल की स्थापना,श्रेडर मशीन 25 से 50 किलोग्राम प्रतिघंटा की स्थापना,सैम्पलिंग पोर्ट होल/लेडर का निर्माण,इंसीनरेटर से निकलने वाली राख का निष्पादन सुरक्षित भूमि में करना अथवा टी.एस.डी.एफ. पीथमपुर से कार्यवाही करने का कार्य जो निविदाकार स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसकी दर सबसे कम होगी उसको निरंतर 03 वर्ष का ठेका दिया जावेगा।

दिनांक:—

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एवं पता

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक...../कय/जी.एम.एच./2015

रीवा,दिनांक

प्रति,

संचालक,
विज्ञापन शाखा,
जनसंपर्क संचालनालय
जनसंपर्क भवन बाण गंगा रोड भोपाल म0प्र0

विषय:— निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने बाबत ।

संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2656–58/कय/जी.एम.एच./2015 दिनांक 17.03.2015 ।

000

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में संचालित छह विभिन्न सेवाओं के लिये वर्ष 2015–016 हेतु निविदा विज्ञप्ति का प्रारूप प्रकाशन हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा स्पीड पोस्ट से आपकी ओर भेजा गया है।

उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु रू. 100000.00 (एक लाख) का डीमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 598704 दिनांक 17.03.2014 पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कॉलेज रीवा जो

आयुक्त जन संपर्क संचालनालय भोपाल के नाम से है डॉ. एस.पी. महापात्र, सहा. प्राध्यापक, फार्माकॉलाजी विभाग एस.एस.मेडिकल कॉलेज रीवा के हस्ते भेजा जा रहा है।

कृपया पावती देने का कष्ट करें।

संलग्न :- 01. बैंक डाफ्ट रू. 1.00 लाख
02. निविदा विज्ञप्ति की छायाप्रति

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.

प्र.
पृ.क..... / कय / जी.एम.एच / 2015 रीवा दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की ओर उनके पत्र क्रमांक 4248 / लेखा / स्वा. / एम.सी.2015 दिनांक 18.03.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. डॉ. एस.पी. महापात्र, सहा. प्राध्यापक, फार्माकॉलाजी विभाग एस.एस.मेडिकल कॉलेज रीवा की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त डाफ्ट आयुक्त जन संपर्क कार्यालय भोपाल में जमा कर उसकी पावती अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करें।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.

प्र.